भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *217

जिसका उत्तर 13 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

.....

महाराष्ट्र में नदियों में प्रदूषण का स्तर

*217. श्री नरेश गणपत म्हस्के:

श्रीमती शांभवी:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास महाराष्ट्र सहित देश के नदियों में प्रदूषण के स्तर से संबंधित कोई व्यापक आंकड़े हैं और यदि हां, तो सबसे अधिक प्रभावित नदियों को दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) महाराष्ट्र सहित देश की नदियों में प्रदूषण के प्राथमिक स्रोतों का ब्यौरा क्या है और इन जल निकायों में औद्योगिक अपशिष्ट, मल-जल बहिस्राव और प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं/किए जा रहे हैं;

(ग) सरकार द्वारा महाराष्ट्र सहित देश में प्रदूषित नदियों को साफ करने और उनका कायाकल्प करने के लिए की गई विशिष्ट पहलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) महाराष्ट्र सहित देश में विगत पांच वर्षों के दौरान नदियों की साफ-सफाई संबंधी परियोजनाओं के लिए किए गए वित्तीय आवंटन और वास्तविक व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) तेजी से हो रहे शहरीकरण और औद्योगीकरण को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सहित देश में नदियों में प्रदूषण को रोकने और सतत जल संसाधन प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई/बनाई जा रही दीर्घकालिक नीतियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटील

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

‘महाराष्ट्र में नदियों में प्रदूषण का स्तर’ के संबंध में दिनांक 13.03.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. *217 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ङ): राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/समितियों के सहयोग से निगरानी स्टेशनों के नेटवर्क द्वारा देश भर में नदियों और अन्य जल निकायों की जल गुणवत्ता की निगरानी की जाती है। इस जल गुणवत्ता निगरानी के परिणामों के आधार पर ही सीपीसीबी समय-समय पर नदियों के प्रदूषण का मूल्यांकन करता है।

सीपीसीबी द्वारा नवंबर 2022 में प्रकाशित उसकी पिछली रिपोर्ट के अनुसार, जैव-रासायनिक ऑक्सीजन मांग, जो कि जैविक प्रदूषण का संकेतक है, के संदर्भ में उसके निगरानी परिणामों के आधार पर 279 नदियों के 311 प्रदूषित खंडों की पहचान की गई। इनमें महाराष्ट्र के 53 खंड भी शामिल हैं। सीपीसीबी रिपोर्ट को निम्नलिखित लिंक से एक्सेस किया जा सकता है:

https://cpcb.nic.in/openpdffile.php?id=UmVwb3JORmlsZXMvMTQ5OF8xNjcyOTg4MDQ1X21lZGlhcGhvdG8xMjk5NS5wZGY=

देश में महाराष्ट्र सहित नदियाँ मुख्य रूप से शहरों/कस्बों और शहरी स्थानीय निकायों से अनुपचारित और आंशिक रूप से उपचारित घरेलू सीवेज, उनके संबंधित जलग्रहण क्षेत्रों में औद्योगिक बहिस्त्रावों, डायल्यूशन की कमी, कचरा डालना और अन्य गैर-बिंदु प्रदूषण स्रोतों के कारण प्रदूषित होती हैं।

नदियों की सफाई/संरक्षण एक सतत प्रक्रिया है। पानी को नदियों और अन्य जल निकायों में छोड़े जाने से पहले सीवेज और औद्योगिक अपशिष्टों का निर्धारित मानकों के अनुसार, आवश्यक उपचार सुनिश्चित करना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) और शहरी स्थानीय निकायों की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। नदियों के संरक्षण के लिए, मंत्रालय द्वारा "नमामि गंगे" की केंद्रीय क्षेत्र योजना के माध्यम से गंगा बेसिन की नदियों में अन्य नदियों के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से प्रदूषण कम करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके संपूरित किया जाता है। इसके अलावा, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत अटल मिशन फॉर रीजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत) और स्मार्ट सिटी मिशन जैसे कार्यक्रमों के तहत एक सीवरेज अवसंरचना बनाई जा रही है। भारत सरकार द्वारा महाराष्ट्र के पुणे में मुला मुथा नदी और नागपुर

में नाग नदी के प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्रमशः 990.26 करोड़ रुपये और 1926.99 करोड़ रुपये की लागत से दो परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है।

औद्योगिक बहिस्त्रवों के निर्वहन की निगरानी सीपीसीबी और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/समितियों द्वारा निगरानी की जाती है और विफलता की स्थिति में, निर्धारित मानदंडों के अनुपालन में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

पिछले पांच वर्षों में एनआरसीपी और नमामि गंगे के तहत देशभर में नदियों की सफाई के लिए आवंटित और उपयोग/जारी की गई कुल धनराशि का विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	एनआरसीपी		नमामि गंगे	
	आवंटित बजट	जारी की गई निधि	आवंटित बजट	जारी की गई निधि
2019-20	153.00	136.66	1553.44	2673.09
2020-21	100.00	99.87	1300.00	1339.97
2021-22	217.68	202.32	1900.00	1892.70
2022-23	450.00	449.05	2500.00	2258.98
2023-24	432.01	411.01	2400.00	2396.10
कुल	1352.69	1298.91	9653.44	10560.84

नमामि गंगे, एनआरसीपी और अमृत जैसी चल रही योजनाओं के अलावा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नदियों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों ने सीपीसीबी द्वारा चिन्हित किए गए प्रदूषित नदी खंडों के लिए कार्य योजनाएँ तैयार की हैं और अपनी कार्य योजना के लिए सक्षम प्राधिकरण से मंजूरी प्राप्त की है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव की अध्यक्षता में निगरानी के लिए, केंद्रीय निगरानी समिति (सीएमसी) का गठन किया गया है।

*****